Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का कनिष्ठ लेखाकार 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आर.ए.एस. परीक्षा–2018 के साक्षात्कार में अधिक अंक दिलवाने एवं सलेक्शन करवाने की एवज में मांगी गई थी, भारी धनराशि**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर–तृतीय इकाई द्वारा आज शुक्रवार को अजमेर में सज्जन सिंह गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को परिवादी से कुल 23 लाख रुपये (1 लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 22 लाख डमी मुद्रा) रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर–तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आर.ए.एस. प्रतियोगी परीक्षा–2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलवाने एवं सलेक्शन करवाने की एवज में सज्जन सिंह गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 25 लाख रुपये रिश्वत राशि मांगी जा रही है।

जिस पर एसीबी जयपुर–तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सज्जन सिंह गुर्जर पुत्र श्री कैलाश सिंह गुर्जर निवासी ग्राम सुनगाड़ी, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा हाल कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को परिवादी से **23 लाख रुपये (1 लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 22 लाख डमी मुद्रा) रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।